न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 296/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– पृथ्वीसिह उर्फ महादान सिह पुत्र जब्बर सिह 2– सरकल सिह पुत्र जब्बर सिह 3– जितेन्द्र सिह पुत्र जब्बर सिह 4– महावीर सिह पुत्र जब्बर सिह 5– पेम्पकंवर पत्नी जब्बर सिह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम चेराई हाल निवासी खाबडा तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1–उम्मेदकंवर पत्नी सज्जनसिह 2–पुष्पकंवर पत्नी गिरधारीसिह 3–पृथ्वीसिह पुत्र स्वरूपसिह 4–नरपतसिह पुत्र स्वरूपसिह 5–प्रभूसिह पुत्र भैरूसिह 6–बहादुरसिह पुत्र रिडमलसिह 7–अर्जुनसिह पुत्र रिडमलसिह 8–बिरमसिह पुत्र रिडमलसिह 9–जुंझारसिह पुत्र सुरतानसिह 10–पर्वतसिह पुत्र खुमानसिह 11–प्रेमकंवर पत्नी भंवरसिह 12–जोगराजसिह पुत्र भोमसिह 13–प्रेमकंवर पत्नी भंवरसिह 14–समदरकंवर पत्नी कल्याणसिह 15–राजेन्द्रसिह पुत्र मरूधरसिह 16–भंवरसिह पुत्र स्वरूपसिह 17–गिरधारीसिह पुत्र खुमानसिह 18–माडुकंवर पत्नी कोजसिह 19–आमसिह पुत्र सुरतानसिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम महादेवनगर, चेराई तहसील ओसियां जिला जोधपुर 20–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर 21–भोमसिह पुत्र गोविन्दसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोयला तहसील बावडी जिला जोधपुर 22–ईश्वरकंवर पत्नी अणदसिह 23–वीर विजय सिह पुत्र राजूसिह निवासी जोधपुर 24–गुलाबचंद पुत्र नानकचंद जाति खटीक 25–पिंकी पत्नी ताराचंद जाति हरिजन निवासी चांदणा भाखर, जोधपुर 26–श्रेयांश पुत्र हुकमचंद 27–श्रेणिक पुत्र हुकमचंद 28–हुकमचंद पुत्र वल्लभचंद 29–वरूण पुत्र प्रसन्नचंद 30–प्रसन्नचंद पुत्र वल्लभचंद 31–चिन्तन पुत्र विलमचंद 32–पुष्पादेवी पत्नी हुकमचंद 33–पुष्पा पत्नी प्रसन्नचंद 34–सुनिता पत्नी ऋषभचंद 35–लता पत्नी श्रेयांश 36–विनिता पत्नी वरूण 37–कोकिला पत्नी श्रेणीक 38–सनम पुत्र ऋषभ सभी जाति डागा (जैन) निवासी शास्त्री नगर जोधपुर

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

		39–ताराचंद पुत्र बाबूलाल जाति हरिजन निवासी चानणा भाखर जोधपुर 40–घीसाराम पुत्र मंगलाराम 41–दाखूदेवी पत्नी घीसाराम जाति मेगवाल निवासीगण रातानाडा जोधपुर 42–अभिषेक पुत्र गोपालदास जाति माहेश्वरी निवासी सरदारपुरा, जोधपुर 43–सहायक अभियन्ता, सावर्जनिक निर्माण विभाग जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–6–2018 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2018 अनवान उम्मेदकंवर वगैरा बनाम सरकार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री छोटूसिह सोढा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री भरत बूब अधिवक्ता रेस्पो0 1 से 19 की ओर से ।
3– श्री सुरेन्द्र सिह राठौड अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 21 व 22 की ओर से ।
4– श्री विक्रम सिह नाथावत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 23 की ओर से ।
5– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 16–9–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 19 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम चेराई के खसरा नंबर 29 2 की भूमि की तरमीम को निरस्त करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र पांचलाखुर्द मे रखते हुए तहसीलदार तिवंरी का जवाब प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–18 पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ग्राम चेराई के खसरा नंबर 2912, 2912/2 व 2912/3 मे की गई तरमीम को निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20–6–2018 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष वर्तमान अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0गण को नोटिसेज जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । पक्षकारान की ओर से अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस का अंग सुमार करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0गण संख्या 1 से 19 की ओर से दिनांक 15–6–2018 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करते हुए उसके ठीक पांचवे दिन

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

दिनांक 20-6-2018 को उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प पांचलाखुर्द मे रखते हुए केवल मात्र तहसीलदार तिंवरी का जवाब प्राप्त कर जिसमे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को समर्थन किया गया था उसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे वर्तमान अपीलांटगण संख्या 1 से 5 तथा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 20 से 43 को प्रफोर्मा पक्षकार बनाया जबकि वे सभी प्रभावित पक्षकार थे तथा अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0गण के नोटिस जारी किये बिना तथा उनकी तामिली कराये बिना तथा सुनवाई अथवा जवाब प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर दिये बिना ही अपील मे वर्णित खसरा नंबरान 2912, 2912/2, 2912/3 मे की गई तरमीम को निरस्त करने बाबत एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो मनमाना तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांटगण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था, जिसके तहत केवल राजस्व रेकर्ड मे हुई किसी अंकीय अथवा गणितीय अथवा किसी लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त करने के आदेश तहसीलदार से रेकर्ड अनुसार जवाब प्राप्त कर कर सकते थे परंतु वर्तमान प्रकरण मे पक्षकारो के हक मे निष्पादित पंजीबद्ध दस्तावेजो के आधार पर तथा मौके पर कब्जे के आधार पर विधिवत की गई तरमीम को प्रश्नगत करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तो ऐसे मे सभी खातेदारान पक्षकारान को नोटिस जारी कर उन्हे तलब कर तथा जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाने के बाद पक्षकारो की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण करना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र 5 दिन मे बिना प्रकिया अपनाये तथा पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो अपीलधीन निर्णय पारित किया है, जो मनमाना तथा विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांटगण ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 21 भोमसिह वगैरा की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मे वर्णित इसी आराजी के के मुतलिक एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्तमान रेस्पो0गण संख्या 1 से 19 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था, जो अभी विचाराधीन है तथा उक्त वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 51/2018 अनवान पृथ्वीसिह उर्फ महादानसिह वगैरा बनाम पर्वतसिह वगैरा मे बाद सुनवाई के आदेश दिनांक 16-5-2018 से ग्राम चेराई के खसरा नंबर 2912 की रकबा 240 बीघा भूमि (जिसके अपीलांटगण खरीददारान/खातेदार है) के संबंध मे मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये थे अथार्त अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच नियमित वाद के विचाराधीन होने की जानकारी होते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांटगण ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण ने अपीलाधीन खसरा नंबर 2912 की भूमि को विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये खरीद किया था तथा

अति. सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

उक्त विक्रय विलेख के आधार पर अपीलांटगण के पक्ष मे म्युटेशन स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज हुए तथा विक्रय पत्र मे अंकित भूमि पर ही अपीलांटगण भौतिक रूप से काबिज चले आ रहे है तथा मौके पर कब्जा अनुसार ही राजस्व नक्शे मे तरमीम की है, पटवारी हल्का ने मनमर्जी से कोई तरमीम नही की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेकर्डेड खातेदारान को सुनवाई का अथवा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना जो तरमीम निरस्त करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान प्रकरण किसी साधारण राजस्व अभिलेख दुरस्ती का नही था बल्कि अपीलांटगण की खरीदसुदा, म्युटेशनसुदा तथा कब्जा काश्त की भूमि के हक हकूको तथा कब्जा की स्थिति से संबंधित था इसलिए ऐसे मामलो मे विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाने का दायित्व अधीनस्थ न्यायालय का था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये जल्दबाजी मे अपीलांटगण के विरूद्ध कठोर रूख अपनाते हुए जो तरमीम निरस्त करने का आदेश पारित किया है, जो किसी भी सूरत मे विधिअनुकुल नही माना जा सकता है जिसे निरस्त करने का निवेदन किया । अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20-6-2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित ग्राम चेराई के खसरा नबर 2912 की भूमि का अधिकांश भाग विभिन्न खातेदारान को अलग अलग बेचान दस्तावेजो के जरिये बेचान किया गया जिनमे वर्तमान अपील के अपीलांट एवं रेस्पो0गण भी शामिल है तथा बेचान दस्तावेजो के आधार पर अलग अलग नामांतरकरण भी स्वीकृत हुए तथा स्वीकृत किये गये नामांतरकरणो की पुश्त पर नजरी नक्शा दर्शाया गया लेकिन नामांतरकरण स्वीकृति के समय पक्षकारो के बीच किसी प्रकार का कोई विभाजन नही हुआ था तथा बेचान के अनुसार खसरा नंबर 2912 के नक्शे मे कोई तरमीम नही हुई थी परंतु पटवारी हल्का ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से कब्जे के विपरीत नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शे के विपरीत राजस्व नक्शा ट्रेस मे अलग अलग खसरों की भूमि को विभाजित कर दिया जिसका पटवारी हल्का को करने का कोई अधिकार नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा नक्शा ट्रेस मे की गई अवैद्यानिक तरमीम को निरस्त करने के लिए धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार तिंवरी से जवाब तलब कर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा ग्राम चेराई के खसरा नंबर 2912, 2912/2 व 2912/3 मे की गई तरमीम को निरस्त करने बाबत जो आदेश पारित किया गया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अति० संभागीय आयुक्त जोधपुर

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया, उनके तर्को, दलीलो पर चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2018 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध रेकर्ड का भी गहनता से अध्ययन किया । वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 19 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष दिनांक 15–6–2018 को राजस्व नक्शे मे की गई अवैद्यानिक तरमीम को निरस्त करवाने के विषय का एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसमे तहसीलदार तिंवरी को अप्रार्थी संख्या 1 बनाया तथा शेष अप्रार्थी संख्या 2 से 29 (वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 21 से 43) जो कि अपीलाधीन भूमि के हितबद्ध पक्षकार होने के कारण उनको पक्षकार बनाया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल तहसीलदार तिंवरी से जवाब प्राप्त कर, बिना शेष पक्षकारान को नोटिस जारी किये मात्र 5 दिन मे पत्रावली दिनांक 20–8–2018 को केम्प कोर्ट मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण संख्या 21 से 43 सभी के हित अपीलाधीन खसरा नंबर 2912 की भूमि से जुडे हुए होने के कारण ही उन्हे विधिवत सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था परंतु उक्त प्रकिया को अपनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत तथा विधिसम्मत नही होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 19 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे ग्राम चेराई के मूल खसरा नंबर 2912 की कुल 706.18 बीघा भूमि पृथक–पृथक बेचाननामो के जरिये पृथक पृथक खातेदारो को बेचान होना तथा बेचान के पश्चात मूल खसरा नंबर 2912 के के बट्टा नंबर 2912/1, 2912/2 व 2912/3 पड़ना तथा उक्त खसरा नंबरान की भूमि का आगे से आगे बेचान होने का उल्लेख किया है जिनमे वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण भी उक्त खसरा नंबरान की भूमि के सद्भावी केता है तथा पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विकय विलेखो के आधार पर केतागण के पक्ष मे समय समय पर नामांतरकरण भी स्वीकृत होकर केतागणो का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज हो चुके है परंतु राजस्व नक्शे मे उसकी कोई तरमीम नही थी और न ही कोई विभाजन हुआ था परंतु पटवारी हल्का ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के मनमर्जी से नक्शा ट्रेस मे तरमीम दर्शा दी जो अवैद्यानिक होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

प्रस्तुत प्रकरण मे जब अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो0 भोमसिह इत्यादि ने इसी आराजी के संबंध मे एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 19 के विरूद्ध प्रस्तुत किया हुआ था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 51/2018 अनवान पृथ्वीसिह उर्फ महादानसिह वगैरा बनाम पर्वतसिह वगैरा मे बाद सुनवाई आदेश दिनांक

प्रति० संभागीय आयुक्त जोधपुर

16–5–2018 के द्वारा अपीलाधीन भूमि ग्राम चेराई के खसरा नंबर 2912 की 240 बीघा भूमि जिसके वर्तमान अपीलांटगण केता है, के संबंध मे आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुए थे तथा जिसमे आगामी तारीख पेशी 13–8–2018 मुकर्रर थी, इसकी जानकारी होते हुए भी तथा स्थगन आदेश पारित होने के बाद दिनांक 15–6–18 को वर्तमान रेस्पो० संख्या 1 से 19 ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन भूमि के यथास्थिति के आदेश पारित होते हुए भी अपीलाधीन निर्णय के द्वारा ग्राम चेराई के खसरा नंबरान 2912, 2912/2 व 2912/3 मे की गई तरमीम को निरस्त करने बाबत आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

वर्तमान मामलें मे यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलांटगण एवं रेस्पो० के बीच कब्जे को लेकर एक नियमित वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही विचाराधीन है तो उक्त नियमित वाद के निर्णय से ही पक्षकारान के कब्जा काश्त का अंतिम निर्धारण होना है, इसके मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2018 विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना उचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2018 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16–9–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर